भारतीय दण्ड संहिता II

1. प्रत्येक हत्या आवश्यक रूप से सदोष मानव वध होती है परन्तु प्रत्येक सदोष मानव वध आवश्यक रूप से हत्या नहीं होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए।
2. उपहति क्या है? कब उपहति को घोर उपहति कहा जायेगा? क्या अम्ल से हमला घोर उपहति के अधीन आती है? वर्णन कीजिए।
3. व्यपहरण को परिभाषित करें। यह अपहरण से किस प्रकार भिन्न है।
4. डकैती किसे कहत हैं? इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? डकैती और लूट में अन्तर बताइये।
5. चोरी से आप क्या समझते हैं? चोरी के आवश्यक तत्व बताइये? चोरी तथा उद्दापन में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
6. आपराधिक अतिचार से आप क्या समझते हैं? गृह भेदन से इसके अन्तर बताइए।
7. किन परिस्थितियों में पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना अपराध हो जाता है? अपवाद यदि कोई हो तो बताइए।
8. लज्जा भंग से क्या अभिप्राय है? लज्जा भंग के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता में क्या उपबन्ध किये गये हैं?
9. टिप्पणी–

1. कूट रचना,
2. आपराधिक न्यासभंग,
3. आपराधिक दुर्विनियोग,
4. दहेज मृत्यु,
5. लोक सेवक,
6. रिष्टि,
7. परितोषण,
8. विशेष न्यायाधीश,
9. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम।

अपकृत्य विधि II

1. न्यूसेंस की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए।
2. अतिचार की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए।
3. मानहानि की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।
4. क्षति की दूरस्थता से आप क्यासमझते हैं? दूरस्थता निर्धारण के कौन–2 से परीक्षण हैं? निर्णीत वादों की सहायता से वर्णन कीजिए।
5. भूमि अतिचार के वाद में प्रतिरक्षा में कौन से बचाव उपलब्ध हैं? क्या परव्यक्ति के अधिकार का तर्क बचाव में विधि मान्य है? विवेचना कीजिए।?
6. उपभोक्ता संरक्षण अधि० 1986 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह अधि० किस सीमातक अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहा है?
7. उपभोक्ता संरक्षण अधि० 1986 के अन्तर्गत राज्य आयोग की संरचना, क्षेत्राधिकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
8. राष्ट्रीय आयोग की संरचना एवं क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डालिए।
9. एक मानहानि के वाद में प्रतिवादी क्या बचाव ले सकता है? व्याख्या कीजिए।
10. टिप्पणी–

1. अंशदायी उपेक्षा,
2. वक्रोक्ति,
3. जिला उपभोक्ता फोरम,
4. आरम्भतः अतिचार,
5. सेवा,
6. घटना स्वयं बोलती है,
7. अपमान लेख एवं अपमान वचन,
8. तंत्रिका धात।

संविधियों का निर्वचन

1. संविधि को परिभाषित कीजिए। संविधि के विभिन्न भागों की व्याख्या कीजिए।
2. निर्वचन के आन्तरिक सहयोगी के रूप में पार्श्व टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरण के महत्व की व्याख्या कीजिए।
3. निर्णीत वादों की सहायता से निर्वचन के रिष्टि के नियम की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।
4. संविधियों के निर्वचन में स्वर्णिम नियम के सिद्धान्त के महत्व की व्याख्या कीजिए।
5. दाण्डिक संविधियों के निर्वचन से सम्बन्धित विभिन्न नियमों की व्याख्या कीजिए।
6. कर संविधियों के निर्वचन से सम्बन्धित नियमों की व्याख्या कीजिए।
7. निर्वचन के स्वर्णिम नियम क्या हैं? निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए।
8. निर्वचन के शाब्दिक व्याख्या के नियम की विवेचना कीजिए।
9. निर्वचन के बाह्य सहयोगी के रूप में शब्दकोष, पाठ्यपुस्तकें, संसदीय इतिहास, न्यायिक निर्णयों के महत्व की व्याख्या कीजिए।
10. टिप्पणी–

1. तत्व और सार का सिद्धान्त,
2. छद्म विधायन का सिद्धान्त,
3. लाभकारी निर्वचन,
4. प्रत्यायोजन का पुनः प्रत्यायोजन नहीं हो सकता है,
5. सुसंगत अर्थान्वयन।

भारतीय संविधान II

1. भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।
2. स्ंसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों का वर्णन कीजिए।
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद मुक्ति होने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
4. केन्द्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन कीजिए।
5. संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या संविधान इस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है कि मुलभूत ढाँचे का ही विनाश हो जाय निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए।
6. आपातकाल से आप क्या समझते हैं? किन आधारों पर राज्य में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? संसद के अनुमोदन के अभाव में कब आपातकाल की घोषणा हो सकती है?
7. राज्यपाल एवं राज्य सरकारों के संवैधानिक सम्बन्धों की विवेचना कीजिए?
8. मूल अधिकारों पर आपातकाल के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
9. संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए?
10. टिप्पणी–
    1. राष्ट्रपति के निर्वाचन के क्या तरीके हैं?
    2. धन विधेयक एवं वित्त विधेयक,
    3. अवशिष्ट विधायी शक्ति,
    4. राष्ट्रपति की विधायी शक्ति,
    5. राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार विधि

1. मानवाधिकार की अवधारणा की विवेचना कीजिए? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इन अधिकारों से सम्बन्धित क्या उपबन्ध किये गये हैं? स्पष्ट कीजिए।
2. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के महत्व एवं विधिक बाध्यताओं की व्याख्या कीजिए।
3. राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार ऐसे अपरिहार्य अधिकार हैं जिनके बिना मानव का आस्तित्व संभव नहीं है। समीक्षा कीजिए।
4. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गठन, कार्य एवं मौलिक सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
5. भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण पर न्यायापालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए।
6. भारत में गैर सरकारी संगठन की मानवाधिकार संरक्षण में भूमिका वर्णन कीजिए।
7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, कार्यों एवं शक्तियों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
8. टिप्पणी लिखिए–

1. राष्ट्रीय महिला आयोग,
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
3. मानवाधिकार का अन्तर अमेरिकी न्यायालय,
4. मानवाधिकार एवं मूल अधिकार,
5. यूनेस्को,
6. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन,
7. सार्क,
8. यूनिसेफ।

संविदा विधि ii

1. क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित करो। उसके आवश्यक तत्वों की विवेचना करो।
2. प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा दीजिए। इसके आवश्यक तत्व बताइए? मूलऋणी एवं ऋणदाता के विरूद्ध प्रतिभू के अधिकारों की विवेचना कीजिए।
3. उपनिधान की परिभाषा दीजिए। उपनिधाता के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन करो।
4. गिरवी क्या है इसके आवश्यकत तत्व बताओ। गिरवीग्राही दार के अधिकारों की विवेचना करो।
5. अभिकरण की परिभाषा दो। एक अभिकर्ता के अधिकार एवं दायित्व क्या है? विवेचना करो।
6. भागिता को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या है? व्याख्या करो।
7. माल विक्रय की संविदा को परिभाषित करो, विक्रय का करार कब विक्रयह हो जाता है व्याख्या कीजिए।
8. क्या किसी भागीदारी फर्म का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है? पंजीयन न होने के प्रभावों की विवेचना कीजिए।
9. अन्तर बताओ–

1. क्षतिपूर्ति की संविदा एवं प्रत्याभूति की संविदा में अन्तर।
2. विक्रय और विक्रय करार में अन्तर।
3. फर्म और कम्पनी।
4. उपाधिकर्ता एवं प्रतिस्थापित अभिकर्ता।
5. भागीदारी और कम्पनी में अन्तर।
6. शर्त एवं वारण्टी में अन्तर।
7. टिप्पणी–

1. अभिकरण के समापन के तरीके,
2. गिरवी का माल उपनिधान है,
3. नेमोडेट क्वोड नान हैबेट
4. सतत प्रत्याभूति,
5. अभिकरण की स्थापना,
6. फर्म का विघटन,
7. इच्छाधीन भागीदारी,
8. धारणाधिकार।

मुस्लिम विधि

1. मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोत कौन–कौन से हैं? हदीस अथवा सुन्नत के महत्व की मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में विस्तृत व्याख्या कीजिए।
2. मेहर को परिभाषित कीजिए। मेहर की प्रकृति तथा महत्व को समझाइए।
3. तलाक के विभिन्न तरीकों को बताइए और सुन्नी एवं शिया कानून की विभिन्नता को समझाइए।
4. मुता विवाह क्या है? इसकी आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। मुता विवाह के विधिक परिणाम क्या–क्या हैं?
5. मुस्लिम विधि में विवाह के आवश्यक तत्वों को समझाइए। यह कहना कहाँ तक ठीक है कि विधि में मुस्लिम विवाह एक संविदा है।
6. निर्णीत वादों की सहायता से मुस्लिम पत्नी के भरण–पोषण के अधिकार का वर्णन कीजिए।
7. यौनावस्था के विकल्प की व्याख्या कीजिए। इसका प्रयोग कब किया जा सकता है?
8. वसीयत की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख तत्व बताइए। मुस्लिम वसीयतों पर क्या निर्वन्धन लगायें गये हैं।
9. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत तलाक (विवाह विच्छेद) से सम्बन्धित प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए।
10. टिप्पणी–

1. दान एवं वसीयत, 2. मृत्युशैय्या दान, 3. बातिल विवाह, 4. इद्दत, 5. हकशुफा 6. इला एवं जिहार।